पत्र संख्या :- 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०) 14/2016 ......631......

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 30/11/ 2016

विषय :- माह दिसम्बर, 2016 के प्रथम सोमवार, द्वितीय सोमवार एवं तृतीय सोमवार को 'लोक संवाद कार्यक्रम' में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-582, दिनांक-25.10.2016 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्वाह्न 10:30 बजे संवाद भवन, देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना में कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम से संबंधित मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना के पत्रांक-394, दिनांक-23.11.2016 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार के कार्यक्रम की विवरणी है।

अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर ससमय विभागीय विषयों से संबंधित माननीय मंत्री को भाग लेने हेतु अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 29/11
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०) 14/2016 ......631...... पटना-15, दिनांक 30/11/..., 2016

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 29/11
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०) 14/2016 ......631...... पटना-15, दिनांक 30/11/..., 2016

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02. उनसे अनुरोध है कि निर्धारित लोक संवाद कार्यक्रम में विभागवार विषयों से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को ससमय यथास्थान उपस्थित रहने की कृपा करेंगे।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 29/11
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० – 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016..........पटना–15, दिनांक ...., 2016

संकल्प

विषय :– **लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने एवं सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथावश्यक संवर्द्धन करने हेतु "लोक संवाद कार्यक्रम" को प्रारंभ किये जाने के संबंध में।**

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की अहम भूमिका होती है एवं सरकार की निर्धारित नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में उनकी सहभागिता एक अहम मुद्दा है क्योंकि नागरिकों के हित के उद्देश्य से ही इनका कार्यान्वयन किया जाता है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

02. आधारभूत संरचना, उद्योग, प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थायें, मानवाधिकार, एवं सामाजिक कल्याण आदि प्रक्षेत्रों में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से लोकहित से जुड़े सुझाव प्राप्त करने के लिए "लोक संवाद कार्यक्रम" का आयोजन मुख्यमंत्री आवास 1, अणे मार्ग, पटना या मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद', पटना या अन्यत्र (पटना अथवा पटना से बाहर) माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) को किया जाएगा।

(i) **प्रथम सोमवार** – आधारभूत–संरचना एवं उद्योग (सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई, उद्योग आदि) से संबंधित सुझाव।

(ii) **द्वितीय सोमवार** – प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं एवं मानवाधिकार (पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, सहकारी संस्थाएं (पैक्स) आदि से संबंधित सुझाव।

(iii) **तृतीय सोमवार** – सामाजिक प्रक्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण आदि) से संबंधित सुझाव।

03. **"लोक संवाद कार्यक्रम"** के आयोजन की प्रक्रिया निम्न रूपेण है :–

(i) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को ऑन–लाइन अथवा डाक से प्राप्त कर निबंधित किया जाएगा।

(ii) कार्यक्रम हेतु निबंधित सुझाव पत्रों में से विषयवार चुने गये अधिकतम 50 लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को संबंधित सोमवार के संवाद कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। शेष चयनित सुझाव पत्रों को अगले विषयवार निर्धारित सोमवार के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। समरूप सुझाव प्राप्त होने पर आवेदकों को एक साथ आमंत्रित किया जा सकेगा। यदि पूर्व में समरूप सुझाव विचाराधीन हैं तो आवेदक को तद्नुसार सूचित किया जाएगा।

(iii) ऑन–लाइन अथवा डाक से प्राप्त सुझाव पत्र के द्वारा लोकहित से जुड़े सुझावों को अधिकतम 200 शब्दों में ही देना होगा।

कृ०पृ०उ०

(iv) कार्यक्रम में चयनित व्यक्तियों को एस०एम०एस०/ई० मेल/दूरभाष के माध्यम से सूचना दे कर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चयनित व्यक्तियों को ही कार्यक्रम आयोजन के दिन एक यूनिक निबंधन कोड/संख्या के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(v) आवेदक को लोकहित से जुड़े सुझाव (ऑन–लाइन अथवा डाक से) दर्ज कराते समय अपना पूर्ण पत्राचार का पता, मोबाइल/दूरभाष संख्या एवं पहचान पत्र (वोटर आई०डी०/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/आई०डी०/पासपोर्ट इत्यादि) की संख्या, ईमेल (अगर हो) दर्ज किया जाएगा।

(vi) आवेदक द्वारा ऑन–लाइन अथवा डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझाव के विषय के अनुसार उन्हें निर्धारित सोमवार को आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक अपना मूल सुझाव पत्र को भी साथ लेकर आवेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

(vii) उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा एवं डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझावों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में संधारित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्र को स्टेट डाटा सेंटर/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना इकाई के सर्वर से संचालित किया जाएगा।

(viii) प्रत्येक सोमवार को विषय से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं माननीय मंत्री को इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे।

(ix) इस कार्यक्रम के आयोजन में जो राशि व्यय होगी उसका वहन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग करेगा।

04. अनुश्रवण – उपर्युक्त कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्रों का अनुश्रवण मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

05. प्रचार–प्रसार – इस कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार का कार्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना करेगा।

06. इस कार्यक्रम में किसी विभाग को शामिल करने/हटाने या कार्यक्रम के तिथि, समय, स्थान या विषय में संशोधन करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016.................... पटना–15, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/आप्त सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी मंत्रिगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...................... पटना–15, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...................... पटना–15, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016...................... पटना–15, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट, वित्त विभाग (सी०डी०) सहित बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 5/म०स०ज०शि०(लो०स०क०)14/2016......582 पटना–15, दिनांक 25/10/2016

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना

(लोक संवाद कार्यक्रम)

का0आ0 सं0–स्था0–60/2016– 394 मु0मं0स0, पटना, दिनांक – 23.11.2016

लोकहित में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से प्राप्त साकारात्मक सुझाव के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथाआवश्यक संवर्द्धन करने के उद्देश्य से "लोक संवाद कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है।

"लोक संवाद कार्यक्रम" का आयोजन मुख्यमंत्री आवास, 1 अण्णे मार्ग, पटना या मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन, पटना या अन्यत्र (पटना अथवा पटना से बाहर), माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) किया जायेगा।

(i) <u>प्रथम सोमवार</u>– आधारभूत–संरचना एवं उद्योग (सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई, उद्योग आदि) से संबंधित विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना प्रवैधिकी, पर्यटन विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित रहेंगे।

(ii) <u>द्वितीय सोमवार</u>– प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएँ एवं मानवाधिकार (पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, सहकारी संस्थाएँ (पैक्स) आदि) से संबंधित विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, वाणिज्यकर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन, आपदा प्रबंधन विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित रहेंगे।

(iii) <u>तृतीय सोमवार</u>– सामाजिक प्रक्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण आदि) से संबंधित विषयो पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास (जीविका), कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला संस्कृति, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, पर्यावरण एवं वन विभाग विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित रहेंगे।

प्रकिया :

1. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को ऑनलाइन (website) अथवा डाक से प्राप्त कर निबंधित करने की व्यवस्था की जाएगी।
2. कार्यक्रम हेतु निबंधित सुझाव पत्रों में से विषयवार चुने गये अधिकतम 50 (पचास) लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को संबंधित सोमवार के संवाद कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। शेष चयनित सुझाव पत्रों को अगले विषयवार निर्धारित सोमवार के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। समरूप सुझाव प्राप्त होने पर आवेदकों को एक साथ आमंत्रित किया जायेगा। यदि पूर्व में समरूप सुझाव प्राप्त होकर विचाराधीन हैं तो आवेदक को तदनुसार सूचित किया जायेगा।
3. ऑनलाइन अथवा डाक से प्राप्त सुझाव पत्र के द्वारा लोकहित से जुड़े सुझावों को अधिकतम 200 (दो सौ) शब्दों में ही देना होगा।
4. कार्यक्रम में चयनित व्यक्तियों को एस0एम0एस0/ई0 मेल/दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चयनित व्यक्तियों को ही कार्यक्रम आयोजन के दिन एक यूनिक निबंधन कोड/संख्या के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
5. आवेदक को लोकहित से जुड़े सुझाव (ऑनलाइन अथवा डाक से) दर्ज कराते समय अपना पूर्ण पत्राचार का पता, मोबाइल/दूरभाष संख्या एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट इत्यादि) की संख्या, ई0 मेल (अगर हो) में दर्ज करना होगा।
6. आवेदक द्वारा ऑनलाइन अथवा डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझाव के विषय के अनुसार उन्हें निर्धारित सोमवार को आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक अपना मूल सुझाव पत्र को भी साथ लेकर आएँगे, जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है एवं डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझावों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में संधारित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्रों को स्टेट डाटा सेंटर/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना इकाई के सर्वर से संचालित कराया जायेगा।

16

लोकहित से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिसके सफल आयोजन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में "लोक संवाद कार्यक्रम" कोषांग का गठन किया गया है । कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी तथा वरीय प्रभारी पदाधिकारी, श्री हेमन्त नाथ देव, अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना होंगे ।

ह0/–

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – ..../मु0मं0स0, पटना दिनांक – ....

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 44/2112(लो॰स॰)/मु0मं0स0, पटना दिनांक – 23-11-2016

प्रतिलिपि –पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/16

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।